



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-175/2020
दिनांक : 31.08.2020

कार्यालयादेश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020.डीएम-आई(ए) दिनांक 29.08.2020 के माध्यम से अनलॉक-4 के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज (इलाहाबाद), क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता तथा वर्धा मुख्यालय के लिये दिनांक 30.09.2020 तक शैक्षणिक गतिविधियाँ वर्क फ्रॉम होम के तहत की जायेंगी।

इस दौरान वर्धा मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों के सभी शिक्षक दिनांक 30.09.2020 तक घर से ही कार्य करेंगे तथा विभागों/केंद्रों द्वारा जारी संबंधित विषयों की समय सारणी के अनुरूप ऑनलाइन कक्षाएँ लेंगे।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)

31/08/2020

प्रति (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक/कार्यालय प्रमुख
4. अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज
5. प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता
6. वित्त विभाग
7. संबंधित पत्रावली